बिहार सरकार

<u>अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग</u>

सं0–5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018– 27

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा ,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 02.08.18

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/–(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए छात्रावास अनुदान का लाभ देने हेतु अनुसूचित जाति के लिए ₹309.00 लाख एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹21.00 लाख अर्थात कुल–₹330.00 लाख (तीन करोड़ तीस लाख रू0) मात्र संलग्न विवरणी 1 एवं 2 के अनुसार निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश –*स्वीकृत।*

2–स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तिया–विपत्र कोड संख्या–44–2225012770101 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.21.01–सामग्री एवं पूर्तियां–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक (मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। निकासी पदाधिकारी राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विभाग के स्तर पर खाता का संधारण करेंगे।

4– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित एवं स्वीकृत सूची के आधार पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02.06.2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (Aadhaar Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services, 2016) एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण करेंगे।

5– संकल्प संख्या–1141 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/–(एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के आलोक में राशि व्यय किया जायेगा।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8– प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन सं0 सं0–5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018 के पृ0– 17 /टिप्पणी पर प्राप्त है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0 (छात्रवृति) 200–26/2018– 27 पटना, दिनांक– 02·08·18

प्रतिलिपि : (1) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) (i) निदेशक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0–3 एवं 5 (निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(iii) आई0 टी0 मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सभी संबंधित को ई–मेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

विवरणी–1

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत अनु0 जाति के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।

कम सं0	जिला का नाम	जिला में कार्यरत अनु0 जाति छात्रवासों में स्वीकृत छात्र बल	कुल स्वीकृत राशि (6 माह के लिए) राशि लाख में
1	2	3	4
1	पटना	550	33.00
2	नालन्दा	50	3.00
3	भोजपुर	475	28.50
4	बक्सर	50	3.00
5	रोहतास	275	16.50
6	भभुआ	350	21.00
7	गया	225	13.50
8	जहानाबाद	100	6.00
9	नवादा	150	9.00
10	औरंगाबाद	45	2.70
11	सारण	150	9.00
12	गोपालगंज	90	5.40
13	सीवान	200	12.00
14	पू0चम्पारण	100	6.00
15	प0चम्पारण	190	11.40
16	मुजफ्फरपुर	225	13.50
17	सीतामढी	175	10.50
18	दरभंगा	275	16.50
19	समस्तीपुर	150	9.00
20	मधुवनी	50	3.00
21	सहरसा	75	4.50
22	सुपौल	50	3.00
23	मधेपुरा	75	4.50
24	पूर्णियां	250	15.00
25	कटिहार	75	4.50
26	अररिया	75	4.50
27	किशनगंज	25	1.50
28	भागलपुर	350	21.00
29	बाँका	25	1.50
30	मुंगेर	100	6.00
31	शेखपुरा	25	1.50
32	लखीसराय	25	1.50
33	जमुई	75	4.50
34	बेगुसराय	50	3.00
	कुलः–	5150	309.00

कुल तीन करोड़ नौ लाख रू0 मात्र

2.8.18

सरकार के सचिव,

पत्रांक 27 दिनांक 02.08.18 का अनुलग्नक ।

विवरणी—2

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत अनु0 जनजाति के लिए स्वीकृत राशि की विवरणी ।

क्रम सं0	जिला का नाम	जिला में कार्यरत अनु0 जनजाति छात्रवासों में स्वीकृत छात्र बल	कुल स्वीकृत राशि (6 माह के लिए) राशि लाख में
1	2	3	4
1	रोहतास	50	3.00
2	पूर्णियां	50	3.00
3	भागलपुर	200	12.00
4	बॉका	25	1.50
5	जमुई	25	1.50
	कुलः—	**350**	**21.00**

कुल एक्कीस लाख रू0 मात्र

सरकार के सचिव,

पत्रांक 97 दिनांक 02.08.18 का अनुलग्नक ।